**संलग्न 12**

**जांच पड़ताल की रिर्पोट**

आज दिनांक .............................. वन अधिकार कानून की धारा 3 (1) के प्रावधानों के अनुसार किए गए सामुहिक एवं व्यक्तिगत अधिकार के दावों की वन अधिकार समिति **PFD(Gram Sabha)** द्वारा नियम 12(1) के अनुसार जांच पड़ताल की गई । इसमें निम्न लोगों ने उपस्थिति दर्ज की:

उपस्थित वन अधिकार समिति सदस्यों के नामः

**सदस्य का नाम** **हस्ताक्षर**

1.

2.

3.

उपस्थित सरकारी अधिकारियों के नाम पदनाम टिप्पणी सहित हस्ताक्षर

1.

2.

दावों की जांच पड़ताल की कार्यवाही

प्रस्ताव 1: सामूहिक वन अधिकार की जांच पड़ताल में

दावे का स्वरूप- ग्राम सभा **PFD(Gram Sabha)** द्वारा सामूहिक वन अधिकारों और समुदायिक वन संसाधन के क्षेत्र के लिए प्रपत्र ख और ग में किया गया दावा नक्शा हक बर्तन, वन बन्दोवस्त में दर्ज अधिकारों के अनुसार ही है।

सामुदायिक वन अधिकारों ओर सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र का विस्तार मानचित्र अनुसार है जो कि पारपंरिक उपयोग की सीमा दर्शाता है और नक्शा हक बर्तन तथा जमाबन्दी में दर्शाए क्षेत्रफल अनुसार है इसलिए अलग से भू-मापन नहीं किया गया।

सामुहिक वन अधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन के लिए किया गया दावा पूर्णतया मान्य योग्य है और सर्मथन के लिए प्रस्तुत किए गए सभी प्रमाण उचित हैं। अतः जांच पड़ताल की रिर्पोट को ग्राम सभा में पारित हेतू तैयार किया जाता है।

अध्यक्ष सचिव

वन अधिकार समिति, PFD(Gram Sabha). वन अधिकार समिति, PFD(Gram Sabha)